09-11-2021

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी अमृतलाल पुत्र उमाराम पुरोहित, निवासी– पुरोहित वास, भटाणा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म पुरोहित स्वीट होम, हनुमान चौक, भटाणा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही ने इस न्यायालय में दिनांक 02.11.2021 को लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 24.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा मेरी फर्म पुरोहित स्वीट होम, भटाणा से बेसन चक्की का नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जिसमें Butyro refractometer reading at 50° C of extracted oil की मात्रा 35.5 to 44.0 के स्थान पर 48.0 पाई गई है। मैनें उक्त बेसन चक्की को बेसन, शक्कर व तेल से बनाया था। मेरे द्वारा उक्त बेसन चक्की में कोई मिलावट नही की गई है। उक्त बेसन चक्की की जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक की मात्रा सही पाई गई है। मैं अब अच्छी गुणवत्ता की बेसन चक्की बनाकर बेचता हूँ। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री

........लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No. 25/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

वितरण नही करुंगा। यह मेरी प्रथम गलती है। मेरी प्रथम गलती को ध्यान में रखकर प्रकरण का निस्तारण करावे।

प्रकरण में नियत दिनांक 02.11.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी अमृत लाल द्वारा दिनांक 02.11.2021 को उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 02.11.2021 को ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी अमृत लाल ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.11.2020 को समय 12.15 पी.एम. पर फर्म पुरोहित स्वीट होम, हनुमान चौक, भटाणा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी अमृत लाल पुत्र उमाराम पुरोहित, जाति– पुरोहित, निवासी– पुरोहित वास, भटाणा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड बेसन चक्की बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले प्रोपराईटरी फूड बेसन चक्की के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता अमृत लाल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड बेसन चक्की लगभग 10 किलोग्राम को हिलामिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये गये प्रोपराईटरी फूड में से 2 किलोग्राम प्रोपराईटरी फूड बेसन चक्की को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदी व प्रोपराईटरी फूड बेसन चक्की की कीमत 300/– रुपये विक्रेता अमृत लाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाह को चार साफ, सूखी व खाली शीशीयां दिखाई एवं लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1284, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड बेसन चक्की को चारो अलग अलग [illegible] भरा एवं चारों नमूना शीशीयों में 40–40 बूंदे फार्मे[illegible] तथा चारों शीशीयों को ढक्कन से [illegible] पर एक–एक लेबल गोंद [illegible] को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना [illegible] पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप को नियम[illegible]ार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 25/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की को दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.11.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 24.11.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म पुरोहित स्वीट होम, हनुमान चौक, भटाणा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता अमृत लाल से प्रोपराईटरी फूड बेसन चक्की को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ बेसन चक्की के नमूना संख्या S-1284 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./983/Act/2020/981 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार प्रोपराईटरी फूड बेसन चक्की का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी अमृत लाल ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ बेसन चक्की का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अमृत लाल पुत्र श्री उमाराम पुरोहित, जाति- पुरोहित, निवासी- पुरोहित वास, भटाणा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म पुरोहित स्वीट होम, हनुमान चौक, भटाणा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 25/2021
	राशि रुपये 1,000/— (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी अमृत लाल को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 07.12.2021 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested